ालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ जिला बीकाने

मुकदमा नम्बर 71 /2017-18 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

अनुवानः– राज्य सरकार बनाम किस्तुराराम

निर्णय

दिनांकः–30/4/18

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का धर्मास ....अन्तर्गत धारा 91 एल.आ एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश कि है कि गैर सायल किस्तुराराम पुत्र/पत्नि श्री सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी मिंगसरिया द्वारा ग्राम मिंगसरिया के अराजी खसरा नम्बर 93 तादादी 1.1300 हैक्टेयर किस्म भूमि गै.मु.गोचर भूमि में से 0.10 हैक्टेयर/वर्गमी भूमि पर सम्वत् 2074 में नाजायज गेहूं की बुवाई कर अवैध रूप से अतिक्रम किया है, अत इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत तामिल कराया गया। गैर सायल द्वारा निम्ना जवाब नोटिस पेश किया। जवाब नोटिस में गैरसायल ने लिखा है कि मेरे द्वारा सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्र नहीं किया है अगर मेरे पास अपने खसरे की सीमा से ज्यादा भूमि निकलती है तो मैं राजीखुशी छोड़ने को तैयार हूं।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वार प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर गेहूं की बुवाई कर अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई सन्तोषजनक जवाब/सबूत प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल किस्तुराराम का उक्त खसरा नम्बर 93 तादादी 1.1300 हैक्टेयर गै.मु.गोचर भूमि में से 0.10 हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। अतः गैर सायल किस्तुराराम अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल किस्तुराराम पुत्र/पत्नि श्री सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी मिंगसरिया को ग्राम मिंगसरिया के खसरा नम्बर 93 तादादी 1.1300 हैक्टेयर गै मु गोचर भूमि में से 0.10 हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि का सम्वत् 2074 का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान 1.00 रूपये का 50 गुणा से 50=00 रूपये शास्ती आरोपित की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.4.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजिलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शमार होकर नम्बर से ...